फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मोहनी — **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 112/24**

जीसीएमएस : 2024/452

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 733 पर दर्ज आराजी नम्बर 4843/2291, 4856/2291, 4869/2291, 4870/2291, 4871/2291 किता 4 कुल रकबा 0.2752 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 519 पर दर्ज आराजी नम्बर 4855/2291, 4857/2291, 4866/2291, 4867/2291, 4868/2291 किता 5 कुल रकबा 0.2752 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी सं. 2 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 100 पर दर्ज आराजी नम्बर 4506/2291, 4847/2291, 4848/2291, 4854/2291, 4862/2291, 4863/2291, 4864/2291, 4865/2291 किता 8 कुल रकबा 0.2834 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 3 के नाम पर दर्ज हैं। डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत् सेग्रीगेशन उपरान्त उपरोक्त सभी आराजीयात की तरमीम ऑनलाईन राजस्व नक्शें में की गई। ऑनलाईन तरमीम करते समय उक्त सभी आराजीयात के रकबे अनुसार तरमीम नहीं की गई। इस प्रकार जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं नक्शें में वर्णित रकबे में अन्तर पाया गया, जिसको तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार मावली द्वारा जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं जिसे सुधाराजाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 733 पर दर्ज आराजी नम्बर 4843/2291, 4856/2291, 4869/2291, 4870/2291, 4871/2291 किता 4 कुल रकबा 0.2752 हेक्टेयर, खाता संख्या 519 पर दर्ज आराजी नम्बर 4855/2291, 4857/2291, 4866/2291, 4867/2291, 4868/2291 किता 5 कुल रकबा 0.2752 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 100 पर दर्ज आराजी नम्बर 4506/2291, 4847/2291, 4848/2291, 4854/2291, 4862/2291, 4863/2291, 4864/2291, 4865/2291 किता 8 कुल रकबा 0. 2834 हेक्टेयर भूमि को तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया। (रमेश सिरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:44:28 IST
Reason: SelfAttested